**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

अपील संख्या : 33/2016

**अपीलांट**

हबताराम पुत्र गंगारामजी जाति पुरोहित निवासी सांथू तहसील जालोर जिला जालोर

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. जेपा पुत्र केसा घांची
2. थाना पुत्र केसा घांची
3. छोगा पुत्र केसा घांची के कायम मुकामात–
   - 3/1 रमेश पुत्र छोगा घांची
   - 3/2 गीता पुत्री छोगा घांची
   - 3/3 रेखा पुत्री छोगा घांची
   - 3/4 माफी पुत्री छोगा घांची
   - 3/5 शारदा पुत्री छोगा घांची
   - 3/6 गुडीया पुत्री छोगा घांची
   - 3/7 पूजा पुत्री छोगा घांची
   - 3/8 पंखी पत्नी छोगा घांची

मुकाम माफी, शारदा, गुडीया, पूजा नाबालिगान की कुदरति वलिया माता पंखी देवी पत्नी छोगा निवासीगण सांथू तहसील जालोर जिला जालोर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3/8 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.03.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा वाद संख्या 34/2010 बउनवान हबताराम बनाम जैपा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3/8 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णत पारित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एवं साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सांथू के पुराने खसरा नंबर 1447 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा आराजी अपीलांट के खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में संवत 2044 से 2047 के अनुसार दर्ज है जिस पर अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट के पडौस में पुराने खसरा नंबर 1447/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा की आराजी रेस्पोडेन्ट जेपा, काना, छोगा पिसरान केसा के नाम दर्ज है। जिस पर उक्त रेस्पोडेन्टस काबिज काश्त है। उसके पश्चात जालोर तहसील के सभी गांवो में भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुनः सर्वे की कार्यवाही सवंत 2046 में आरम्भ हुई जो संवत 2050 तक चली ओर संवत 2051 में मिसल बंदोबस्त भूप्रंबध विभाग द्वारा तैयार की गई, जिसकी अवधि संवत 2051 से 2070 है। उक्त कार्यवाही के पश्चात अपीलांट के कब्जे में आराजी के वर्तमान खसरा नंबर 3361 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा नंबर रकबा 3373 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 3374 रकबा 0.78 हैक्टर, कुल रकबा 2.41 हैक्टर इस प्रकार अपीलांट के खाते में 16 बीघा 5 बिस्वा दर्ज की गई जो कि गत के मुकाबले 03 बीघा 18 बिस्वा कम की गई। एवं रेस्पोडेन्ट को गत जमाबंदी संवत 2012–2015 में खसरा नंबर 1447 में से 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी केसा पुत्र तुलसा को आवंटन हुई व संवत 2040 से 2043 में पुराने खसरा नंबर 1448 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में आती है किन्तु रेस्पोडेन्ट के गत रेकर्ड के मुकाबले वर्तमान में 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी अधिक दर्ज है उक्त आराजी अपीलांट की खातेदारी आराजी का हिस्सा है, उक्त आराजी वर्तमान खसरा नंबर 3362 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3364 व 3365 का पश्चिमी भाग जो 3362 से लगता है जिसकी कुल लंबाई 2 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा काश्त है उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट के खाते से कम किया जाकर अपीलांट को उक्त आराजी का खातेदार घोषित कराने एवं रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी में दखलदांजी से रोकने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया। भूप्रंबध विभाग द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी को कम करके रेस्पोडेन्ट के खाते में 0.24 हैक्टर भूमि सम्मिलित की गई, जबकि भूप्रंबध विभाग को पुराने राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियो को बदलने का कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय में दावा साक्ष्य वादी के स्तर पर चल रहा था, इसी दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प पंचायत मुख्यालय में सांथू में दिनांक 28.08.2015 को आयोजित हुआ उक्त कैम्प के संबध में कोई नोटिस अपीलांट को तामिल नहीं हुआ, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कैम्प बिना अपीलांट का सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक अदालत कैम्पो में दोनो पक्षकारान की आपसी सहमति एवं राजनीमे के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय निर्देश जारी किये गये है। बिना आपसी राजनीमे व सहमति के कोई प्रकरण निर्णित करने का प्रावधान लोक अदालत कैम्पों के दौरान नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवई को अवसर दिये एवं बिना तकनीयात किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 खारिज फरमाया जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2/6

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एवं साथ ही स्थाई निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सांथू के पुराने खसरा नंबर 1447 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा आराजी अपीलांट के खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में संवत 2044 से 2047 के अनुसार दर्ज है जिस पर अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट के पडौस में पुराने खसरा नंबर 1447/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा की आराजी रेस्पोडेन्ट जेपा, काना, छोगा पिसरान केसा के नाम दर्ज है। जिस पर उक्त रेस्पोडेन्टस काबिज काश्त है। उसके पश्चात जालोर तहसील के सभी गांवो में भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुनः सर्वे की कार्यवाही सवंत 2046 में आरम्भ हुई जो संवत 2050 तक चली ओर संवत 2051 में मिसल बंदोबस्त भूप्रंबध विभाग द्वारा तैयार की गई, जिसकी अवधि संवत 2051 से 2070 है। उक्त कार्यवाही के पश्चात अपीलांट के कब्जे में आराजी के वर्तमान खसरा नंबर 3361 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा नंबर रकबा 3373 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 3374 रकबा 0.78 हैक्टर, कुल रकबा 2.41 हैक्टर इस प्रकार अपीलांट के खाते में 16 बीघा 5 बिस्वा दर्ज की गई जो कि गत के मुकाबले 03 बीघा 18 बिस्वा कम की गई। एवं रेस्पोडेन्ट को गत जमाबंदी संवत 2012–2015 में खसरा नंबर 1447 में से 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी केसा पुत्र तुलसा को आवंटन हुई व संवत 2040 से 2043 में पुराने खसरा नंबर 1448 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में आती है किन्तु रेस्पोडेन्ट के गत रेकर्ड के मुकाबले वर्तमान में 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी अधिक दर्ज है उक्त आराजी अपीलांट की खातेदारी आराजी का हिस्सा है उक्त आराजी वर्तमान खसरा नंबर 3362 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3364 व 3365 का पश्चिमी भाग जो 3362 से लगता है जिसकी कुल लंबाई 2 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा काश्त है उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट के खाते से कम किया जाकर अपीलांट को उक्त आराजी का खातेदार घोषित कराने एवं रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी में दखलदांजी से रोकने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प के संबध में अपीलांट को जो नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस पर "हबताराम यहां पर 2 वर्षो से उपस्थित नहीं है" की रिर्पोट प्रस्तुत हुई। जिससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलांट को लोक अदालत कैम्प की कोई जानकारी नहीं थी। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प में अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3/6

parties that are at controversy. As per Bouvier it is ^^an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा वाद संख्या 34/2010 बउनवान हबताराम बनाम जैपा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

4/4